

छूट प्राप्त दुकानों में भीड़ न लगे निगम की मोबाइल टीम लगातार कर रही माँनितरिंग

भिलाईनगर / लाँकडाउन में आम नागरिकों के जरूरतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ व्यवसायों पर आंशिक छूट दिया है! नियमों का उल्लंघन न हो इसकी लगातार माँनितरिंग निगम की मोबाइल टीम द्वारा किया जा रहा है। दुकानों पर भीड़ न लगे और सोशल डिस्टेंस का पालन हो इसके लिए व्यवसायियों को समझाइश भी दिया जा रहा है। लाँकडाउन के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर मोबाइल टीम का गठन किया गया है! जहां कहीं भी नियमों की अवहेलना की शिकायत मिल रही है निगम की टीम मौके पर पहुंचकर कार्यवाही कर रहे हैं। मुख्य बाजार एवं दुकानों के अतिरिक्त गली, मोहल्लों में घूम-घूम कर फल, सब्जी बेचने वालों पर भी नजर रखते हुए निर्धारित समय तक ही सामान का विक्रय हो इसके लिए नियमों का पालन कराया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी है सभी लाँकडाउन का सख्ती से पालन करे , इसके लिए निगम प्रशासन हर संभव प्रयासरत है और दो पालियों में निगम क्षेत्र का सघन निरीक्षण करते हुए लाँकडाउन के नियमों का पालन करा रही है। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लाँकडाउन की अवहेलना करने वालों पर भिलाई निगम नजर रखे हुए हैं। मोबाइल टीम नियमों की अवहेलना करने वालों से अर्थदण्ड वसूल रही है। आज टीम सुबह आकाशगंगा सब्जीमंडी , पाँवर हाउस फल एवं सब्जी मंडी , मछली मार्केट , मटन मार्केट , जवाहर मार्केट, सर्कुलर मार्केट, लिंक रोड, गोल मार्केट, ओम शांति ओम चौक एवं अन्य स्थलों का निरीक्षण किए और नियमों की अवहेलना करने वाले 33 लोगों से 13300 रुपये अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही किए। पाँवर हाउस मार्केट का सघन निरीक्षण करते हुए बाजार में अनावश्यक घूमने वालों को वापस लौटाया गया ताकि भीड़ न लगे।

